समाज-कल्याण मंत्री द्वारा डा० अम्बेडर फाउंडेशन क चेयरमैन की हैसियत से बाबा अम्बेडकर की बायोग्राफी जो मराठी में श्री चन्ददेव खेरमोडे द्वारा लिखी गई थी, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 50 लाख रुपया सेंक्सन किया था, उसको रोक दिया गया।

डा० अम्बेडकर पब्लिक लाइब्रेरी योजना के क्रियान्वयन को रोकना सौ करोड़ की लागत से ब्रिटिश सेंटिनरी कमेटी ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर एक अम्बेडकर नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी की योजना बनाई थी जिसे तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री वी०पी० सिंह की सहमति प्राप्त हो गई थी एवं प्लानिंग कमीशन ने भी प्रोजेक्ट के लिए साढ़े पांच करोड़ की ग्रांट उसी समय दे दी थी जिसे आप द्वारा पहली मीटिंग में समाप्तप्राय कर दिया गया किंतु बाद में आपने इसके प्रति अपनी सद्भावना ज़ाहिर करते हुए लाइब्रेरी प्रोजेक्ट को एन०जी०ओज़ जो आपके करीबी हैं, उनको दे दिया है।

श्री बी०एस० रामूवालिया, पूर्व समाज-कल्याण मंत्री द्वारा डॉफ अम्बेडकर फाउंडेशन की जनरल एवं गवर्निंग बॉडी बनाई गई थी जो अम्बेडकर विचारधारा के चिंतक एवं परिचित रहे जिसका कार्यकाल 31.3.2000 तक था किंतु महोदय द्वारा भाजपा की सरकार बनने पर उसे निरस्त करके पुनः उस बॉडी का निर्माण किया गया जिसमें अम्बेडकर विचारधारा से प्रेरित लोगों को नहीं रखा गया।

बाबा साहब के जीवन एवं मिशन पर आधारित भारत सरकार द्वारा बनाई जाने वाली फिल्म को 18.9.98 के बयान द्वारा रोक दिया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को दिए गए ऋण की ब्याज दर बढ़ा दी गई है। महोदय, इन समुदायों को 25 लाख व्यक्तिगत ऋण 4 प्रतिशत पर देने की व्यवस्था रही है किंतु जब से आपकी सरकार बनी है, उसके 16.10.98 के बयान के अनुसार व्यक्तिगत ऋण की सीमा 25 लाख से घटा कर 5 लाख कर दी गई है और ब्याज की दर 4 प्रतिशत से बढ़ा कर 7 से 10 प्रतिशत तक कर दी गई है। इस समुदाय पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। इसी प्रकार कुछ अन्य तथ्य हैं जो इस समाज के विरोध में माननीया मंत्री जी के द्वारा किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पी०सी० सेन को अनधिकृत रूप से पिछड़ा वर्ग निगम का चेयरमैन बनाया गया है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Mr. Azad, please conclude. You have taken five minutes extra.

श्री गांधी आज़ाद: मैं अपना बात जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। आरक्षित वर्ग के अधिकारियों को हरैसमेंट किया जा रहा है। अनधिकृत रूप से पिछड़ा वर्ग निगम के फंड का भी दुरूपयोग किया जा रहा है। 8 करोड़ के धन का दुरूपयोग फिल्म स्कैंडल पर और अनुसूचित जाति, अनुसूजित जनजाति के फंड को जनरल कैटेगरी के लोगों पर खर्च किया जा रहा है। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि माननीया समाज-कल्याण मंत्री द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्धार एवं उत्थान के प्रति गंभीर न होकर मात्र घड़ियाली आंसू बहाने का कार्य किया जा रहा है। मैं सदन के माध्यम से इस विचारधारा में परिवर्तन की अपेक्षा रखते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व उपसभाध्यक्ष महोदय को समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जॉन एफ० फर्नांडिस): धन्यवाद आज़ाद जी।

Now, there is a statement giving some information by the hon. Railway Minister. There has been a railway accident. It is a *suo motu* statement Honourable Railway Minister, please proceed.

STATEMENT BY MINISTER

Derailment of 8029 Down Kurla-Howrah Express

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR): Mr. Vice-Chairman, Sir, 8029 Down Kurla-Howrah Express from Kurla to Howrah derailed at 5.40 hrs on 3rd December between Mhasawad-Shirsoli stations on Manmad-Jalgaon section of the Central Railway's Bhusaval Division.

The train engine and eleven coaches next to it derailed, of which five coaches capsized. *Prima facie*, the cause of the accident is weld failure of rail. As a result of the above accident, five passengers died, eight suffered grievous injuries and ten passengers suffered simple injuries. As per the information received, three passengers were trapped inside the coaches, but they were able to see from outside. Only the down line has been obstructed and single line working has been introduced via the up line. The

stranded passengers of the train invloved in the accident have been cleared to Bhusaval from where they will continue their journey.

The DRM along with the divisional officers from Bhusaval and the AGM along with the Principal Heads of Department from Mumbai have gone to the site. The Minister of State for Railways, Shri Ram Naik, along with Member-Engineering, Member-Electrical, Railway Board, and the General Manager, Central Railway, has also rushed to the accident site by air.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): It is a very sad incident. We condole the death of those people who died and wish speedy recovery of those passengers who are injured in this accident.

Now, Mrs. Urmilaben Patel.

GOVERNMENT MOTION—

RE. Thirtieth report of the commissioner for scheduled castes and scheduled tribes for the years 1989—91—*Contd.*

डा० (श्रीमती) उर्मिला चिमनभाई पटेल (गुजरात): धन्यवाद महोदय, सबसे पहले तो सरकार की इस रिपोर्ट के बारे में यह बताना चाहती हूं कि 1989-91 की रिपोर्ट दिसम्बर 1998 में हमारे सामने आ रही है—करीब साढ़े सात साल के बाद। सर, अब यह प्रोवीजन होना चाहिए कि सरकार के पास जब रिपोर्ट आए तो इसके दूसरे साल ही यह सदन में आ जाए जिससे इसके ऊपर जो कुछ हम चर्चा करें, वह अर्थपूर्ण रह सके। सात साल पहले की बात पर आज चर्चा करने से इसका कोई मायना नहीं रहता है। समय तेजी से बदल जाता है। इसलिए यह प्रावधान करने की जरूरत है कि जितनी जल्दी हो सके, उतने टाइम बाउंड समय के मुताबिक उसको लेना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे देश में प्रणालिकागत सिर पर मैला ढोने की प्रथा प्रचलित थी और आज भी वह खत्म नहीं हो सकी है। यह ह्यूमीलेटिंग प्रथा है। महोदय, ज्यादातर महिलाएं ही सिर पर मैला लेकर जाती हैं और हाथ से सफाई करती हैं। यह हमारी मानवता के विरुद्ध है और आजादी के पचास साल के बाद भी हमारी पार्लियामेंट ने इसके बारे में सीरियसली कुछ ऐक्शन लेने के बारे में नहीं सोचा है। मैं तो ऐसा मानती हूं कि अगर केवल ऐसे ही हम प्रावधान करते रहेंगे, योजनाएं बनाते रहेंगे, कानूनों का प्रसार करते रहेंगे और अगले पचास साल भी चले जाएंगे, फिर भी यह प्रथा हमारे समाज से नहीं जाएगी। सर, मैला ढोने वालों के लिए आल्टरनेटिव व्यवसाय की तालीम देने का प्रावधान किया गया है लेकिन यह कौन लेगा? जो थोड़े-बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं, वह अन्य व्यवसायों में जा सकते हैं लेकिन अनपढ़ महिलाएं उसका लाभ नहीं उठा पाती हैं। परिणाम यह होता है कि जो स्टेट्स यह कहती कि यह प्रथा हमारे यहां से निर्मूल हो गयी है, उन्हीं स्टेट्स में भी गैर-कानूनी तौर पर यह प्रथा प्रचलित है और महिलाओं के पास और कोई व्यवसाय नहीं है इसलिए महिलाएं यह काम करने के लिए मजबूरन जाती हैं। इसके ऊपर बैन करने की जरूरत है। सर, मैं तो यह मानती हूं कि सरकार अगर इस पर बैन लगाएगी, तभी आल्टरनेटिव व्यवसाय का उपयोग होगा किन्तु अगर कुछ करने की हमारी विल ही नहीं है तो सालों तक यह प्रथा चलती रहेगी। हम यहां बहस करते रहेंगे और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। सर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि अस्पृश्यता निवारण की हम बात करते रहते हैं और जो दलित वर्ग है, उनको भी सामान्य प्रवाह में लाने की बातें हम करते रहते हैं लेकिन यह प्रक्रिया— मैं ऐसा मानती हूं कि सदन्तर बंद है। हम जो योजनाएं बनाते हैं, वह योजनाएं इधर-उधर थोड़े से आर्थिक लाभ देकर हम पूरी कर देते हैं। कुछ फायदा हो गया, कुछ स्कॉलरशिप दे दिया, कुछ थोड़ी-बहुत नौकरियां दे दीं गयीं। कोई सैल्फ इम्प्लायमेंट की योजना बना दी गयी लेकिन जो देश का सामान्य प्रवाह है, उस सामान्य प्रवाह में उन्हें लाने के लिए हम उतने चिंतित नहीं हैं। परिणाम यह होता है कि हमारे देश में दो अलग-अलग वर्ग बन गये हैं, दो अलग-अलग कम्यूनिटी बन गयी हैं।

एक टचेबल्स कम्युनिटी और दूसरी अन-टचेबिल्स कम्युनिटी है और यह खाई दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारा एक और बंटवारे का रास्ता बन रहा है कि ये लोग अनटचेबल्स हैं, ये लोग टचेबल्स हैं? कम्युनिटी के बीच में यह जो डिफरेंस हो रहा है इसके बारे में भी हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहती हूं कि जैसे-जैसे दलित वर्ग में जागृति आती है और वे अपने अधिकारों के लिए मांग करते हैं और जब मांग पूरी नहीं होती है